Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

हिंसा और बाल शोषण पर मीडिया के प्रभाव का अध्ययन

अवनीश प्रताप सिंह *

शोधार्थी, राधा गोविन्द विश्वविद्यालय,झारखण्ड,भारत

Corresponding Author: *अवनीश प्रताप सिंह

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18517516

सारांश

संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शिक्षा में रुचि ना हो आजकल ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रयोग चला आ रहा है आज के भारतीय समाज में शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना है। शिक्षा मानवीय चेतना का वह सर्वांगीण विकास है और ज्योतिमय सुसंस्कृति पद है, जिसमें व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता हैद्य शिक्षा किसी भी राष्ट्र का वह बिंदु है जिसके चारों ओर विकास का चक्र घूमता है, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक तथा मानवीय मानसिक विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण हैद्य शिक्षा के बिना यह सब अधूरे हैं अर्थात शिक्षा वह क्रम है जिसके द्वारा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा केवल विद्यालय या अन्य संस्थाओं से ही प्राप्त की जाए बल्कि किसी भी रूप में कभी भी प्राप्त किया जा सकता हैद्य मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करने के लिए प्रेरित होता है।

प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था जटिल थी गुरु-शिष्य परंपरा थी गुरु अपने शिष्यों को शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए शिक्षा देता था इसके परिणाम स्वरुप समाज में रहने वाले सभी लोग शिक्षित नहीं हो पाए थे लेकिन आज की प्रचलित भारतीय शिक्षा का प्रारंभ ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया इनका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना तथा अंग्रेजों के व्यापार को बढ़ावा देना था।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 12-01-2026
- **Accepted:** 28-01-2026
- **Published:** 07-02-2026
- **MRR:**4(2); 2026: 62-65
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

अवनीश प्रताप सिंह. हिंसा और बाल शोषण पर मीडिया के प्रभाव का अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(2):62-65.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: मीडिया का प्रभाव, बाल हिंसा, बाल शोषण, सामाजिक जागरूकता, बाल अधिकार

प्रस्तावना

शिक्षा का अनुकरण मानवीय विकृतियों को उत्पन्न करता है, जिसमें हिंसा एवं पाश्विक प्रवृत्ति मुख्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार- हिंसा स्वयं के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति या किसी समूह या समुदाय के विरुद्ध शारीरिक बल या शक्ति का सभी प्रायः उपयोग है चाहे धमकी स्वरूप या वास्तविक जिसका परिणाम या उच्च संभावना है कि जिसका परिणाम चोट मृत्यु मनोवैज्ञानिक नुकसान दुर्बलता या विकास के रूप में होता हैद्य कई बच्चों और किशोर में कभी-कभी दूसरों के साथ शारीरिक हाथापाई हो जाती है लेकिन अधिकांश बच्चे और किशोर हिंसक व्यवहार जारी नहीं रखते या हिंसा का अपराध में शामिल नहीं होते हालांकि जो बच्चे युवावस्था से पहले हिंसक हो जाते हैं उनसे अपराध होने का अधिक खतरा हो जाता है या हो सकता है इस बात की बहुत कम सबूत है कि हिंसक व्यवहार आनुवांशिक दोषों या गुणसूत्र असामान्यताओं की कारण होता है।

मीडिया- (जैसे सोशल मीडिया और समाचार प्लेटफार्मों) के माध्यम से हिंसा के खुलासे तथा बाल शोषण और घरेलू हिंसा की खुलासे से हिंसा और हथियारों तक पहुंच के बीच एक संबंध प्रतीत होता है वर्तमान समय में हिंसा और बाल शोषण के साथ मीडिया का भी प्रभाव

© 2026 अवनीश प्रताप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

देखा जा रहा है अभी कुछ समय पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एवं ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बनाने की घोषणा की।

मंत्रालय का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यापक प्रणाली का विकास करना है जिसमें बच्चों के माता-पिता स्कूलों समुदायों और गैर सरकारी संगठनों स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस वह वकील को भी शामिल किया जाना है। बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है हालांकि हम लोग दुर्व्यवहार में समानता यौनिक एवं शारीरिक शोषण को शोषण समझते हैं जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला बच्चों के मनस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।

बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आघात तक ही सिमटा नहीं है, बल्कि बच्चों को इरादतन यानि कृति दिखानाए अनुचित कामुक बातें करनाए गलत तरीके से छुनाए जबरन यौनकृतियों के लिए मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि बातें सोशल के अंतर्गत आते हैं। 2002 में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम उम्र के 7-9 प्रतिशत लड़के एवं 19-7 प्रतिशत लड़कियां यौन हिंसा की शिकार है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2011 में बाल एवं शोषण के 33098 मामले दर्ज किए गए। भारत में प्रत्येक मिनट पर 16 से कम उम्र के एक बच्चे तथा प्रत्येक 13 घंटे पर 10 से कम उम्र के एक बच्चे का बलात्कार होता है। यूनिसेफ द्वारा 2005 से 2013 के बीच की यौन शोषण पर किए गए अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि भारत की 10 प्रतिशत लड़कियों को जहां 10 से 14 वर्ष से कम उम्र में यौन व्यवहार का सामना करना पड़ा वहीं 30 प्रतिशत ने 15 से 19 वर्ष के दौरान एवं दुर्व्यवहार को झेला।

बाल अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन(बतब) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सदस्य देशों को कानूनी रुप से बाल अधिकारियों की रक्षा के लिए बाध्य करता है। भारत में बाल एवं शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित किया उन्होंने शोषण के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून (ब्ब्ब्) इस समय अपराधों को चिन्हित कर उनके लिए सख्त सजा निर्धारित की गई। साथ ही सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है। स्कूलों में जहां अनिवार्य मनोवैज्ञानिक कैंप होने चाहिए तो वही डॉक्टर, मीडिया व पुलिस को भी इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

बाल हिंसा एवं शोषण-

विधाता की सर्वोत्तम कृति मानव है व्यक्ति अपने जन्म के समय और असहाय होता है और दूसरों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जैसे-जैसे वह बड़ा होता है वैसे-वैसे वह उनका पूरा करना और अपने वातावरण में अनुकूलन करना सीखना है। अभी हाल ही में एक डाटा के अनुसार बिहार राज्य की मुजफ्फरपुर जिले में बालिका गृह कांड की एक समस्या सामने आई जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई की एक टीम द्वारा 2018 में एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति सर्वेक्षण किया गया थाद्य इसी संस्था द्वारा मुजफ्फरपुर में बालिका गृह का संचालन किया जा रहा था। बता दे कि मुजफ्फरपुर के बालिका संरक्षण गृह में 34 छात्राओं की यौन उत्पीड़न की पुष्टि के बात हुई, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा पूछताछ में पता चला था की लड़कियों को नशीली दवाई देकर उनके साथ मारपीट कर शोषण किया जाता था इस मामले को सीबीआई जांच के बाद कोर्ट ने इस शेल्टर होम के संचालक और मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

कैलाश सत्यार्थी का मूल नाम कैलाश शर्मा(जन्म 11 जनवरी 1954 विदिशा मध्य प्रदेश भारत)-भारतीय समाज सुधारक जिन्होंने इसके खिलाफ अभियान चलाया और भारत के अन्य जगहों पर बालश्रम और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार की वकालत की 2014 में उन्हें किशोर पाकिस्तानी शिक्षा अधिवक्ता मलाला यूसुफजई के साथ "बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

मलाला यूसुफजई (जन्म 12 जुलाई 1997 को बच्चों के अधिकारों की कार्यकर्ता होने के लिए माना जाता हैद्य वह पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनरवा प्रांत के साथ जिले में स्थित मिंगोरा शहर की एक छात्रा है। 13 साल की उम्र में ही वह तारीफ-ए-तालिबान शासन के अत्याचारों के बारे में एकछन्हा नाम के तहत बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग द्वारा स्वात के लोगों में नायिका बन गई।

आज हमारे देश भारत में आए दिन हिंसा और बाल शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा हैद्य लोकतांत्रिक देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्रिया-कलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चैथे स्तंभ के रूप में जाना जा सकता हैद्य किसी भी सामाजिक बुराइयों को मीडिया दिखाने या उस पर रोक कैसे लगाया जाए किसी भी घटना के बारे में आम जनता तक पहुंचने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है।

"सब बच्चों को अधिकार एक समान।
बाल अधिकार इसी का नाम"।।

अर्थात हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो जीवन में आगे बढ़ेगा देखा जाए तो बाल मजदूरी एक बच्चे के जीवन की हत्या करने के समान है। बाल संरक्षण वर्तमान अस्तित्व में भी कन्या भ्रूण हत्या की प्रथाएं प्रचलित है और दूसरी जो बच्चे पैदा होते हैं और जीवित रहते हैं, उन्हें कई उल्लंघनों का अनुभव होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कामकाजी बच्चे भारत में हैं। राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2018 में बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के 39827 मामले दर्ज किया, जिनमें बालविवाह, आर्थिक शोषण, युवा लड़कियों को देवी देवताओं को समर्पित करने की देवदासी परम्परा जैसी प्रथाए इत्यादि अभी भी प्रचलित है, जिसको कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य-

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

1-हिंसा को कम करने में मीडिया के प्रभाव का अध्ययन।

2- बालक व बालिकाओं पर होने वाले हिंसा को रोकने में मीडिया का योगदान का अध्ययन।

© 2026 अवनीश प्रताप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3-बालिकाओं का हो रहे शोषण के खिलाफ प्रिंट मीडिया के योगदान का अध्ययन।
4- हिंसा और शोषण को कम करने में मीडिया के प्रभाव का अध्ययन।

सुझाव-

केवल मानव ही एक मात्र जैसा प्राणी है जो सदियों से एकत्र किए गए ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। संबंधित शोध अध्ययन से शोधकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध का संबंधित विषयों पर पहले कार्य किया जा चुका है अथवा नहीं। प्रस्तुत शोध की पृष्ठभूमि तथा परिप्रेक्ष्य में संबंधित साहित्य की खोज करना आवश्यक है। इस अध्ययन की आवश्यकता को प्रथम अध्याय में पहले ही निश्चित किया जा चुका है। वर्तमान शोध की परिप्रेक्ष्य में यह पता लगा लेना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कितने शोध हो चुके हैं तथा किस प्रकार की शोध अध्ययनों में किस प्रकार के उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन से शोध-उपकरण, शोध-प्रविधि, सांख्यिकी एवं तकनीकी का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही यह ज्ञात करना आवश्यक है कि पूर्व में किए गए अध्ययनों के क्या परिणाम है। तथा उसके मुख्य निष्कर्ष क्या प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार की शोध अध्ययनों तथा अन्य संबंधित साहित्य से ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में और उपयोगी अध्ययन क्या हो सकते हैं। इस प्रकार से संबंधित साहित्य का अध्ययन करने के उपरांत वर्तमान शोध अध्ययन हेतु उद्देश्य परिकल्पना शोधविधि उपयुक्त शोध उपकरण एवं सांख्यिकी तकनीकी का चयन करना सुविधाजनक हो जाता है। किसी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्ता को पूर्व सिद्धांत एवं शोधों से अवगत होना चाहिए।

1- राज ब्यूरो पटना (2023)

राज्य में इस साल जनवरी से अगस्त माह के बीच 5958 बच्चे गायब हुए हैं। इनमें 5117 लड़कियां जबकि 841 लड़के हैं, बच्चों में 85 प्रतिशत लड़कियां हैं। पुलिस एवं मीडिया के सहयोग से 383 लड़कों और 2416 लड़कियों को बरामद किया गयाद्य राज्य से गायब हुए 3415 बच्चे अभी भी लापता है। इन सब मामलों में मीडिया को और अधिक पारदर्शिता रखनी चाहिए जिससे कि आम जनता को इसकी जानकारी दी जा सके और वो जागरूक हो सके।

2- एनसीआरबी की रिपोर्ट-

कहती है कि बच्चों के साथ शारीरिक व्यवहार के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे हैद्य इसके बाद महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश, दिल्ली में यह आंकड़ा 769 है वहीं जम्मू-कश्मीर में महज दो मामले ऐसे आए हैं।

3- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (2016)

अपराध पर आधारित आखिरी रिपोर्ट पर नजर डाले तो देश भर में बच्चों पर आपराधिक गतिविधियों दर्ज हुआ है 2014 में बच्चों के साथ अपराध की 89423 घटनाएं दर्ज हुई है। इसके बाद 2015 में 94172 और 2016 में 106958 घटनाएं दर्ज हुई है इन तीन सालों में बच्चों के साथ अपराध की दर 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है 2014-15 में 5.3 फीसदी की तुलना में 2015-16 में 13.6 फीसदी अपराध हुआ।

हिंसा और बाल-शोषण पर मीडिया का प्रभाव को देखा जा सकता है। शिक्षा के अभाव में हिंसा और शोषण की कल्पना करना अनुचित होगा मीडिया के विकास के लिए लोगों में सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। जिसमें बालक एवं बालिकाओं का अपना सर्वांगीण विकास कर सके बालिका सशक्तिकरण के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकते है।

1. वर्तमान समय में बालिका के शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए हिंसा और बाल शोषण कार्यक्रम के अलावा समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार अन्य बाल शोषण और हिंसा कार्यक्रम योजनाए चलाई जानी चाहिए।
2. बालिका और बालक शोषण को कम करने के स्तर को बढ़ाने के लिए बालको के भाति बालिकाओं को भी जागरुक करना आवश्यक है।
3. हिंसा और बाल शोषण के बारे में बालक और बालिकाओं को शिक्षा एवं विद्यालय के माध्यम से बताया जाना चाहिए।
4. बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको सही-गलत का ज्ञान कराया जाना चाहिए।
5. हिंसा को कम करने में मीडिया का प्रभाव के बारे में बालक एवं बालिकाओं को बताया जाय।
6. बालको को हिंसा के बारे में अवगत कराना साथ ही बालिकाओं को भी जानकारी देना।
7. बालिकाओं को सामाजिक रुप से सशक्त बनाने के लिए बालिकाओं की सुरक्षा को बढ़ाते हुए अन्य शहर राज्य व देश में कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे उनमें पूर्ण विकास हो सके।
8. बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बालिकाओं की शिक्षा प्रणाली में आधुनिक संचार साधनों का पूर्ण प्रयोग तथा मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे-टेलीविजन समाचारपत्र मासिक-पत्रिका तथा इंटरनेट के माध्यम से बालिका सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है।
9. बालिकाओं एवं बालकों को हिंसा के बारे में जानकारी के साथ-साथ विचारों में भी अपनाने के लिए जोर दिया जाये।
10. बालक एवं बालिकाओं को पूर्ण ज्ञान के साथ-साथ शोषण के विरुद्ध लड़ने के अधिकार से अवगत कराने के लिए ग्रामीण एवं विकास खण्ड स्तर पर बालिका सशक्तिकरण समूह की स्थापना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आंकड़ों की संकलन एवं विश्लेषण-

अनुसंधान के लिए समस्या में संबंधित परिकल्पना के निर्माण के लिए उसके परीक्षण के लिए आंकड़ों का संकलन की आवश्यकता होती है इसके लिए विशिष्ट उपकरण जो कि उसे समस्या के अनुरूप है प्रयोग आंकड़ों के लिए किया जाता है यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक शास्त्रों से उपलब्ध हो सकता है तथा वह उपकरण विश्वसनीय और वैद्या होना चाहिए। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत हिंसा और बाल शोषण पर मीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया गया है अतः प्रस्तुत शोध के इससे संबंधित आंकड़ों की व्याख्या विवेचना एवं निष्कर्ष के लिए चार परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। वैशाली जिले के अंतर्गत ब्लाक लालगंज, भगवानपुर, वैशाली और हाजीपुर का चुनाव किया गया, जिसमें 80

© 2026 अवनीश प्रताप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

उत्तर दाताओं का चयन किया गयाद्य उत्तर दाताओं से प्राप्त जानकारी आरेख के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैद्य

क्रम	विकास खंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	हिंसा और शोषण वाले बच्चों की संख्या	योग
1	लालगंज	टोटहा, सलिमपुर	10 + 10	20
2	भगवानपुर	वनथु, प्रतापपुर	10 + 10	20
3	वैशाली	बलुआकरम, महावीरपुर	10 + 10	20
4	हाजीपुर	बगैली, हथसारगंज	10 + 10	20

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधकर्ता में प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए है।

उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि के लिए प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर समस्त 80 उत्तरदाताओं में 95.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जहा शिक्षा को अनिवार्य मानते हुए साक्षर भारत कार्यक्रम में लाभांवित हुए वही 4.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा को उचित जानकारी के अभाव में साक्षर भारत कार्यक्रम से लाभांवित नहीं हुए।

अतः इस गणना से ज्ञात होता है। कि महिलाओं एवं पुरुषों में हिंसा और बाल शोषण पर मीडिया के प्रभाव का अध्ययन पाया जाएगा ।

निष्कर्ष की पुष्टि के लिए प्रदत्तो के विश्लेषण के आधार पर समस्त 80 उत्तरदाताओं में से 91.35 प्रतिशत जहां बालक और बालिकाओं को समान मानते हुए बालिकाओं के पक्ष में सकारात्मक विचार प्रकट किया वहीं 8.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा एवं बालिकाओं की जानकारी के अभाव में बालिकाओं को बालकों के समान मानते हुए अपना विचार नहीं के रुप मे प्रकट किया । अतः इस गणना से ज्ञात होता हैं । बलिका-बालक की हिंसा और शोषण को कम करने में मीडिया का प्रभाव पाया गया।

संदर्भित ग्रंथ सूची

1. बोर्ज WR. शैक्षिक अनुसंधान एवं विधियाँ. मेरठ: अग्रवाल पब्लिकेशन; 1978.
2. पाण्डेय राम सकल. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा. मेरठ: अग्रवाल पब्लिकेशन; वर्ष अनुपलब्ध.
3. हिंदू लॉ. द्वितीय संस्करण. लखनऊ: ईस्टर्न लॉ बुक कंपनी; 2003.
4. पब्लिशिंग कंपनी. नई दिल्ली; वर्ष अनुपलब्ध.
5. योजना आयोग. सोशल लेजिस्लेशन: इट्स रोल इन सोशल वेलफेयर. नई दिल्ली; 1956.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

अवनीश प्रताप सिंह झारखंड स्थित राधा गोविंद विश्वविद्यालय से संबद्ध शोधार्थी हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि मीडिया अध्ययन, सामाजिक मुद्दों, बाल हिंसा एवं बाल शोषण तथा जनसंचार के सामाजिक प्रभावों के अध्ययन में है। वे समकालीन सामाजिक समस्याओं पर शोध के माध्यम से अकादमिक योगदान दे रहे हैं।

© 2026 अवनीश प्रताप सिंह. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/